निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

7 आश्विन 1944 (श0)
(सं0 पटना 801) पटना, वृहस्पतिवार, 29 सितम्बर 2022

Indiacode

वाणिज्य–कर विभाग

अधिसूचना
29 अगस्त 2022

एस० ओ० **191**, **दिनांक** 29 **सितम्बर 2022**—बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम– 12, 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफ़ारिशों पर, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।-

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बिहार माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियमावली, 2022 है ।

(2) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हुये माने जायेंगे ।

2. बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017, (जिसे इसमें इसके बाद उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 21 में, खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड अत: स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:

"(ज) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक माह या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और लगातार छह महीने की अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं की है;

(झ) पंजीकृत व्यक्ति होने के कारण प्रत्येक तिमाही या उसके भाग के लिए धारा 39 की उपधारा (1) के प्रावधान के तहत रिटर्न दाखिल करने की आवश्यकता है और दो कर अवधि के निरंतर समय के लिए रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया है।";

3. उक्त नियमावली के नियम 36 में,-

(क) उप-नियम (2) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, " और उक्त दस्तावेज में यथा अंतर्विष्ट सुसंगत सूचना ऐसे व्यक्ति द्वारा प्ररूप जीएसटीआर-2 में दी गई हैं " का लोप किया जाएगा;

(ख) उप-नियम (4) में, खंड (ख) में, "ऐसे इन्वॉइसेस या डेबिट नोट्स" शब्दों के बाद, "जिनके इनपुट टैक्स क्रेडिट" शब्द अत: स्थापित किए जाएंगे;

4. उक्त नियमावली के नियम 37 में,-

(क) उपनियम (1) और (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) कोई पंजीकृत व्यक्ति, जो माल या सेवा या दोनों की किसी आवक प्रदाय पर इनपुट कर प्रत्यय का उपभोग करता है, उन आपूर्तियों के अलावा जिन पर कर रिवर्स चार्ज के आधार पर देय है, लेकिन उसके आपूर्तिकर्ता को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह उस पर संदेय कर सहित बीजक के जारी किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन की अवधि के ठीक पश्चात् वाली कर अवधि में, ऐसी आपूर्ति के संबंध में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बराबर राशि का भुगतान धारा 50 के तहत उस पर देय ब्याज के साथ प्ररूप जीएसटीआर-3B में करेगा :

परंतु उक्त अधिनियम की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट प्रतिफल के बिना की गई प्रदाय का मूल्य, धारा 16 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जाएगा:

परन्तु यह और की धारा 15 की उपधारा (2) के खंड (ख) के उपबंधों के अनुसार जोड़ी गई किसी रकम के मुद्दे प्रदायो के मूल्य को धारा 16 की उपधारा (2) के दूसरे परन्तुक के प्रयोजनों के लिए संदत्त किया गया समझा जायेगा।;

(2) जहां उक्त पंजीकृत व्यक्ति बाद में इस तरह की आपूर्ति के मूल्य की राशि का भुगतान उसके आपूर्तिकर्ता को देय कर के साथ करता है, वह उप-नियम (1) में निर्दिष्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट का पुन: लाभ उठाने का हकदार होगा। ";

(ख) उप-नियम (3) का लोप कर दिया जाएगा;

5. उक्त नियमावली के नियम 38 में,-

(क) खंड (क) में, उप-खंड (ii) में, शब्द, अक्षरों और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर -2 में" का लोप कर दिया जाएगा;

(ख) खंड (ग) में, शब्दों, अक्षरों और अंक के लिए, "और प्ररूप जीएसटीआर -2 में प्रस्तुत किया जाएगा", शब्दों, अक्षरों और अंक, "और इनपुट टैक्स क्रेडिट की शेष राशि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में उत्क्रमित कर दी जाएगी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ग) खंड (घ) का लोप कर दिया जाएगा;

6. उक्त नियमावली के नियम 42 में, उप-नियम (1) में, खंड (छ) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, " प्ररूप जीएसटीआर -2 में बीजक स्तर पर और" का लोप किया जाएगा;

7. उक्त नियमावली के नियम 43 में, उप-नियम (1) में, शब्दों, अक्षरों और अंक, "प्ररूप जीएसटीआर-2 और" दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, का लोप किया जाएगा;

8. उक्त नियमावली के नियम 60 में, उप-नियम (7) में, "स्वतः तैयार" शब्दों के स्थान पर, "स्वतः जनित" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

9. उक्त नियमावली के नियम 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 79 का लोप किया जाएगा;

10. उक्त नियमावली के नियम 83 में, उप-नियम (8) में, खंड (क) में, "और आवक" शब्दों का लोप किया जाएगा;

11. उक्त नियमावली के नियम 85 में, उप-नियम (2) में, खंड (ग) का लोप किया जाएगा;

12. उक्त नियमावली के नियम 89 के उपनियम (1) में,-

(क) शब्दों " कोई व्यक्ति, जो " के बाद, शब्द, कोष्ठक और अंक " धारा 49 की उप-धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक नकद खाता बही में किसी भी शेष राशि का, या " को अतः स्थापित किया जाएगा;

(ख) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ग) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और भी" शब्दों के स्थान पर, शब्दों "परंतु" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(घ) तीसरे परंतुक में, "परन्तु यह भी" शब्दों के स्थान पर, शब्दों "परन्तु यह और भी" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

13. उक्त नियमावली के नियम 96 में, उपनियम (3) में शब्दों, अक्षरों और अंकों " प्ररूप जीएसटीआर-3 या प्ररूप जीएसटीआर-3ख, जैसा भी मामला हो" के स्थान पर, अक्षरों और अंक, " प्ररूप जीएसटीआर-3ख" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

14. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटीआर-1क, प्ररूप जीएसटीआर-2 और प्ररूप जीएसटीआर-3 का लोप किया जाएगा;

15. उक्त नियमावली के प्ररूप जीएसटी पीसीटी-05 में, भाग-क में, तालिका में, क्रमांक 1 के सामने, "गतिविधियों की सूची" शीर्षक के तहत, शब्दों "और आवक" का लोप किया जाएगा।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–14) 2673)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

---

29 सितम्बर 2022

एस० ओ० 191, दिनांक 29 सितम्बर 2022 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०सं०–बिक्री–कर / जीएसटी / विविध–21 / 2017(खंड–14) 2673)]

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 29th September 2022

S.O. 191, Dated 29th September 2022— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: —

1. ***Short title and commencement***.—

(1) These rules may be called the Bihar Goods and Services Tax (Second Amendment) Rules, 2022.

(2) Save as otherwise provided in these rules, they shall be deemed to have come into force with effect from the 1st day of October, 2022.

2. *In the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 21, after clause (g), the following clauses shall be inserted, namely:-*

"(h) being a registered person required to file return under sub-section (1) of section 39 for each month or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of six months;

(i) being a registered person required to file return under proviso to sub-section (1) of section 39 for each quarter or part thereof, has not furnished returns for a continuous period of two tax periods.";

3. *In rule 36 of the said rules,–*

(a) in sub-rule (2), the words, letters and figure, ", and the relevant information, as contained in the said document, is furnished in FORM GSTR-2 by such person" shall be omitted;

(b) in sub-rule (4), in clause (b), after the words, "the details of", the words, "input tax credit in respect of" shall be inserted;

4. *In rule 37 of the said rules,–*

(a) for sub-rules (1) and (2), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

"(1) A registered person, who has availed of input tax credit on any inward supply of goods or services or both, other than the supplies on which tax is payable on reverse charge basis, but fails to pay to the supplier thereof, the amount towards the value of such supply along with the tax payable thereon, within the time limit specified in the second proviso to sub-section (2) of section 16, shall pay an amount equal to the input tax credit availed in respect of such supply along with interest payable thereon under section 50, while furnishing the return in FORM GSTR-3B for the tax period immediately following the period of one hundred and eighty days from the date of the issue of the invoice:

Provided that the value of supplies made without consideration as specified in Schedule I of the said Act shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16:

Provided further that the value of supplies on account of any amount added in accordance with the provisions of clause (b) of sub-section (2) of section 15 shall be deemed to have been paid for the purposes of the second proviso to sub-section (2) of section 16.;

(2) Where the said registered person subsequently makes the payment of the amount towards the value of such supply along with tax payable thereon to the supplier thereof, he shall be entitled to re-avail the input tax credit referred to in sub-rule (1).";

(b) sub-rule (3) shall be omitted;

5. In rule 38 of the said rules,–

(a) in clause (a), in sub-clause (ii), the word, letters and figure, “in FORM GSTR-2” shall be omitted;

(b) in clause (c), for the words, letters and figure, “and shall be furnished in FORM GSTR-2”, the words, letters and figure, “ and the balance amount of input tax credit shall be reversed in FORM GSTR-3B” shall be substituted;

(c) clause (d) shall be omitted;

6. In rule 42 of the said rules, in sub-rule (1), in clause (g), the words, letters and figure, “at the invoice level in FORM GSTR-2 and” shall be omitted;

7. In rule 43 of the said rules, in sub-rule (1), the words, letters and figure, “FORM GSTR-2 and” at both the places where they occur, shall be omitted;

8. In rule 60 of the said rules, in sub-rule (7), for the words “auto-drafted”, the words “auto-generated” shall be substituted;

9. rules 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 and 79 of the said rules shall be omitted;

10. In rule 83 of the said rules, in sub-rule (8), in clause (a), the words “and inward” shall be omitted;

11. In rule 85 of the said rules, in sub-rule (2), –

(a) in clause (b), for the words “said person;”, the words “said person; or” shall be substituted;

(b) clause (c) shall be omitted;

12. In rule 89, of the said rules, in sub-rule (1), –

(a) after the words “ claiming refund of”, the words, brackets and figures “any balance in the electronic cash ledger in accordance with the provisions of sub-section (6) of section 49 or” shall be inserted;

(b) the first proviso shall be omitted;

(c) in the second proviso, for the words “Provided further that”, the words “Provided that” shall be substituted;

(d) in the third proviso, for the words “Provided also that”, the words “Provided further that” shall be substituted;

13. In rule 96 of the said rules, in sub-rule (3), for the words, letters and figures, “FORM GSTR-3 or FORM GSTR-3B, as the case may be”, the letters and figure, “FORM GSTR-3B” shall be substituted;

14. FORM GSTR-1A, FORM GSTR-2 and FORM GSTR-3 of the said rules shall be omitted;

15. In FORM GST PCT-05 of the said rules, in Part-A, in the table, against Sr. No.1, under the heading “List of Activities”, the words, “and inward”, shall be omitted.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 2673)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 801-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in